



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry Of Labour & Employment Govt. of India)



उप-क्षेत्रीय कार्यालय, ओखला
एफ-2/3, ओखला फेस-1, नई दिल्ली-110020
Sub-Regional Office, Okhla
F-2/3, Okhla Phase-1, New Delhi-110020
Phone No- 011 26814613, Email: dir-okhla@esic.nic.in
Website: www.esic.gov.in / www.esic.in

संख्या: 20-ए-49/12/2022-रा. भा.

दिनांक: 27.02.25

06.03.25

ज्ञापन

विषय:- दिनांक को एक पूर्ण दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन।

उप निदेशक (प्रभारी) महोदय ने दिनांक 06.03.25 को एक दिवसीय पूर्णकालिक हिंदी कार्यशाला के आयोजन का अनुमोदन प्रदान किया है। सभी प्रतिभागियों को हिंदी कार्यशाला में भाग लेने के लिए प्रातः 9:30 बजे उप क्षेत्रीय कार्यालय ओखला के सम्मेलन/प्रशिक्षण कक्ष में उपस्थित रहने के निर्देश दिए जाते हैं। इस हिंदी कार्यशाला में भाग लेने वाले कर्मचारियों की सूची निम्नवत् है:-

क्र.सं.	नाम (श्री/श्रीमती/कुमारी)	पदनाम	कर्मचारी संख्या	शाखा नाम
1	संजीव कुमार	सहायक	104227	बीमा-4
2	अरुण सिंह रावत	सहायक	104043	शा.का. ओखला
3	अनिमेष कुमार	सहायक	171592	लेखा शाखा
4	संजीव कुमार	सहायक	104116	प्रशासन शाखा
5	उमेश कुमार	सहायक	158542	सामान्य शाखा
6	गौरव	सहायक	171317	शा. का. आश्रम
7	मुकेश सिंह	सहायक	171602	बीमा शाखा-4
8	अभिषेक कुमार आनंद	सहायक	171470	बड़ा कक्ष शाखा
9	विनीता सिंह चौहान	सहायक	176053	लेखा शाखा
10	अमित कुमार	सहायक	171403	सामान्य शाखा
11	जगदीश रावत	सहायक	104076	लेखा परीक्षा शाखा
12	मनीषा शर्मा	प्र. श्रे. लिपिक	182581	हितलाभ शाखा
13	नितिन कुमार अय्यर	प्र. श्रे. लिपिक	187308	आई टी शाखा
14	सचिन कुमार सिंह	अ. श्रे. लिपिक	173807	बीमा-2
15	दिनेश कुमार पाल	अ. श्रे. लिपिक	173716	बीमा -3
16	कुनाल निर्मल	प्र. श्रे. लिपिक	182578	विधि शाखा
17	विनोद भारद्वाज	प्र. श्रे. लिपिक	182638	शाखा कार्यालय कालकाजी
18	रजनीश कुमार	प्र. श्रे. लिपिक	171273	शाखा कार्यालय ओखला
19	आशीष श्रीवास्तव	प्र. श्रे. लिपिक	172262	शाखा कार्यालय आश्रम
20	धीरज यादव	प्र. श्रे. लिपिक	136332	शाखा कार्यालय पालम

उक्त कर्मिकों को कार्यशाला में उपस्थित होना अनिवार्य है एवं इसकी सूचना उपरोक्त कर्मिकों को ईमेल के माध्यम से भी दी गई है। किसी भी प्रकार की छुट्टी देय नहीं होगी। अनुपस्थित होने पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

(चितरंजन कुमार दास)

उप निदेशक (रा.भा.प्र.)

सेवा में,

- संबंधित कर्मचारी।
- प्रशासन शाखा/लेखा शाखा/रोकड़ शाखा, उप क्षेत्रीय कार्यालय, ओखला को सूचनार्थ।
- सहायक निदेशक, समन्वय सह निरीक्षण शाखा से अनुरोध है कि उपरोक्त आधार सीडिंग में तैनात कर्मिकों को कार्यशाला में भाग लेने हेतु अनुमति प्रदान करें।

4. नीटिस बीड